

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1 (48)वन/2019

जयपुर, दिनांक :-

सहायक महानिरीक्षक,
(एफ.सी. डिवीजन), भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोर बाग रोड़, नई दिल्ली-110003।

विषय:- Proposal for diversion of 286.47 ha. of forest land in favour of
Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for
Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran
district, Rajasthan State (Proposal No. - FP/RJ/IRRI/27263/2017)

संदर्भ:- आपका ई.डी.एस दिनांक 28.10.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई.डी.एस के क्रम में अति. प्रधान मुख्य वन
संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए के पत्र एफ14(170/17)2024/एफसीए/प्रमुवसं.
/548 दिनांक 25.03.2025 से प्राप्त प्रत्युत्तर इस कार्यालय की अभिशंषा सहित
संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक स्वीकृति जारी कराने का श्रम
करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

Document certified by BIJO JOY
<Joybijo@gmail.com>

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :04-04-2025 02:51:15



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक:एफ.14(170/17)2017/एफसीए/प्रमुखसं./ 548

दिनांक 25/3/25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversification of 286.47 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District, Rajasthan State.

(Proposal No. FP/RJ/IRRI/27263/2017)

संदर्भ:-उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली के पत्रांक 8-34/2019-FC दिनांक 28.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में संदर्भित भारत सरकार के पत्र द्वारा जारी EDS का रिप्लाइ मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न) मुख्य वन संरक्षक, कोटा की टिप्पणी से यह कार्यालय सहमत है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpur Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवस/ 2025-26/ 1057

दिनांक: 07/02/2025

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District.

Proposal no:- FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 3777 दिनांक 24.12.2024 एवं उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 554 दिनांक 03.02.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि आप द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 24-12-2024 से चाही गई रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS	Date 24.12.2024	Reply
1.	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा जल समागम योजना प्रस्तुत की गई है किंतु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकी रूप से जांच किया जाकर अनुमोदित हेतु अभिपंशा नहीं की गई है योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है वृक्षारोपण कहां होगा स्पष्ट नहीं है 126 वर्ग किमी क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेक्चर की संख्या आंकलित की गई है आदि को स्पष्ट नहीं किया गया है		अनुमोदित कैंट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है। उक्त कैंट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था एवं वृक्षारोपण मॉडल की दरे वर्ष 2020 की बी.एस.आर के अनुसार ली गई है। इस कैंट प्लान के तहत उपचार की आवश्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग कि.मी. कुल कैचमेंट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिशत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है।
2-	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीपलोर की सघनता होने के कारण परिभाषित वन भूमि पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था। किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीपलोरा हटाए जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है बार-बार सूचनाओं में बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जिसे स्पष्ट किया जाना है प्रकरण में स्थल उपयुक्त अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएं जो संबंधित नहीं है उन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है जूलीपलोरा हटाए जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीपलोरा हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नहीं किया गया है।		गत वर्षों में जूलीपलोरा की सघनता ज्यादा थी इसलिए उस वक्त तत्कालिन उप वन संरक्षक ने प्लान्टेशन (एन.एफ.एल.) में नहीं कर पाने का निवेदन किया था। उक्त भूमि गैर सरकारी भूमि है एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार जूलीपलोरा हटाया जाता रहा है इसलिए वर्तमान में उक्त परियोजना के बदले दी गई वन भूमि पर (एन.एफ.एल.) पर शेष रहे जूलीपलोरा हटवाकर वृक्षारोपण करने के प्रस्ताव भेजे गये। विभागीय मॉडल अनुसार सी.ए. स्कीम संलग्न है। इस मॉडल अनुसार ही वृक्षारोपण करवाया जायेगा। जूलीपलोरा हटाने के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में यामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है साथ ही वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम 2023 के नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	प्रस्ताव के संलग्न में वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है। तथा छत्र घनत्व प्राप्त गैर वन भूमि का 0.3 से कम है।
4 पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है साथ ही पूर्व में प्रेषित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजों को भी पोर्टल से नहीं हटाये गये हैं।	संपूर्ण भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एफ.एल ही करवाया जाएगा डी.एफ.एल से संबंधित सभी दस्तावेज हटा दिए गए हैं
5 पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा पार्ट 1 में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गई है किंतु उसमें वर्तमान फसल पैटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों को सूचना का अभाव है।	उक्त परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 54 गांवों की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहां इस भूमि पर केवल वर्षा आधारित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादी की खेती की जाती थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही रबी की फसल गेहूँ चना सरसो इत्यादी हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के समाजित एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी क्षेत्र के भू जल स्तर में वृद्धि से परम्परागत जल स्रोतों का भी दोहन कम होगा।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय


(सोनल जोरिडार)

वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन)
कोटा

दिनांक:

वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन)
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail: def.bra@forest.rajasthan.gov.in, Tel.No. 074538239244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए/ उ.व.स/2024 - 25/554

दिनांक 03-02-2025

निमित्त-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय - Proposal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive water Resource Division III, Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation Project in Baran District. Proposal no :- FP/RJ/IRRIIG/27263/2017)

संदर्भ - अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 3777 दिनांक 24.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 24-12-2024 से चाही गई रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS	Date 24.12.2024	Reply
1.	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा जल सागम योजना प्रस्तुत की गई है किंतु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकी रूप से जांच किया जाकर अनुमोदित हेतु अभिपंशा नहीं की गई है योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है वृक्षारोपण कहाँ होगा स्पष्ट नहीं है 126 वर्ग किमी क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेबियन स्ट्रेचर की संख्या आंकलित की गई है आदि को स्पष्ट नहीं किया गया है		अनुमोदित कट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है। उक्त कट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था एवं वृक्षारोपण मॉडल की दरे वर्ष 2020 की वी.एस.आर के अनुसार ली गई है। इस कट प्लान के तहत उपचार की आवश्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 12165 वर्ग कि.मी. कुल कैचमेंट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिशत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है।
2	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारा द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीपलोर की सघनता होने के कारण परिभ्रमणित वन भूमि DFL पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था किंतु आप द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीपलोर हटाए जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है बार-बार सूचनाओं बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जिससे स्पष्ट किया जाना है प्रकरण में स्थल उपयुक्त अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएं जो संबंध नहीं है उन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है जूलीपलोर हटाए जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीपलोर हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नहीं किया गया है।		उक्त परियोजना के बदले दी गई गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है (एन.एफ.एल) चूकि दी गई भूमि पर जूली पलोर की सघनता होने से, पहले समस्त जूलीपलोरा मौके से हटाया जाएगा तदुपरांत ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा किसी प्रकार का डी.एफ.एल कार्य नहीं किया जाएगा। जूलीपलोरा हटाने के लिये अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। विभागीय मॉडल अनुसार सी.ए स्कीम संलग्न कर दी गई है। जो कि इस हेतु पर्याप्त बजट रहेगा।
3	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में घामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है साथ ही वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम 2023 के		प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है। तथा छत्र घनात्व प्राप्त गैर वन भूमि का 0.3 से कम है।

	नियम 13 के अनुरूप छत्र धनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	
4	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है साथ ही पूर्व में प्रेषित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजों को भी पोर्टल से नहीं हटाये गये हैं।	संपूर्ण भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एफ.एल. ही करवाया जाएगा डी.एफ.एल. से संबंधित सभी दस्तावेज हटा दिए गए हैं।
5	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा पार्ट I में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गई है किंतु उसमें वर्तमान फसल पैटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों को सूचना का अभाव है।	उक्त परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 54 गांवों की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहां इस भूमि पर केवल वर्षा आधारित खरीफ फसल जैसे गजरा, ज्वार इत्यादी की खेती की जाती थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही रबी की फसल गेहूँ चना सरसो इत्यादी हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की कृषि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के समाजित एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी क्षेत्र के भू जल स्तर में वृद्धि से परम्परागत जल स्रोतों का भी दोहन कम होगा।

संलग्न उपरोक्तानुसार:-


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 556-56 दिनांक

3-2-2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, जल संचयन वृत्त, बारां के प्रस्ताव दिनांक 28.07.2022 अनुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में आ रही 44 हेक्टर की भूमि के सम्पत्ति अन्य राजकीय विभागों के भूमि प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर आदेश जारी करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। उक्त 44 हेक्टर की भूमि हथियादेह में विभाजन हेतु सेंट्रल अपार्टमेंट राजस्व भूमि अधिनियम 1950 के तहत नोबिल वैराज के दून में आती भूमि है। उक्त का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
1		07	2.352
2		08	3.602
3		10	1.361
4	पादुवा	1025	0.805
5		1026	1.518
6		1109	0.500
7		1113	2.709
8		1114	0.182
	योग		12.721
1		54	3.10
2		55	5.23
3	तीखोद	56	3.928
4		57	2.271
5		86	4.15
6		96	5.05
7		98	4.13
8		99	3.42
	योग		31.279
	कुल योग		44.00

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक एफ-4(5)()राजस्व/2020/3483-98 दिनांक 23.10.2020 से Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत नोबिल वैराज हेतु 119.409 हेक्टर राजस्व भूमि के निर्माण के निर्माण में आ रही 44 हेक्टर की भूमि के सम्पत्ति अन्य राजकीय विभागों के भूमि प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत कर आदेश जारी करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। उक्त 44 हेक्टर की भूमि हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु समायोजित करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त 119.409 हेक्टर की भूमि का कब्जा/दखल वगैरह विभाग को दिनांक 31.12.2020 तथा दिनांक 11.11.2020 को सौंपा दिया गया है। उक्त का वगैरह विभाग बारां के पत्र क्रमांक 19551 दिनांक 08.12.2021 से अवगत करवाया गया कि वगैरह विभाग को 44 हेक्टर भूमि आवंटित हो गई है।

अतः वगैरह विभाग को नोबिल वैराज हेतु पूर्व में दी गई 119.409 हेक्टर भूमि में से 44 हेक्टर भूमि का समायोजन हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील विशनागज, जिला बारां में किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।

(महेश्वर गुप्ता)

जिला कलक्टर,

बारां

क्रमांक-एफ-4(5)()राजस्व/22/11066-77

दिनांक 17.11.2022

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक जय सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल संचयन, वृत्त कोटा।
3. उप वन सहायक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जल संचयन वृत्त, बारां।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल संचयन खण्ड वृत्तीय, बारां।
6. उपखण्ड अधिकारी, विशनागज/साहवाव/अंता।
7. तहसीलदार, विशनागज/साहवाव/अंता।
8. स्थित पत्रावली।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

बारां